कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक,
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 1,83 / तकनीकी / 2011   भोपाल, दिनांक 25-2-2011

प्रति,

समस्त कलेक्टर / समस्त जिला पंजीयक,
मध्यप्रदेश ।

विषयः--शपथ--पत्रों पर नोटेरियल स्टाम्प लगाये जाने बाबत् ।
संदर्भः--मध्यप्रदेश शासन का पृ. क्रमांक 635 / 5544 / 2010 / 2 / पांच दिनांक 21.2.2011

उपर्युक्त संदर्भ में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक 780–202–6--आर–76 दिनांक 2.11.76 द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा प्रतिज्ञात किए जाने वाले शपथ–पत्रों पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है । इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक (23)--एफ--बी–4–7–2002–वा.कर–पांच दिनांक 28.8.2002 द्वारा पिछड़ा वर्ग के किसी सदस्य द्वारा प्रतिज्ञात शपथ–पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की गई है । उक्त छूटें भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की सारणी 1–क के अनुच्छेद 4 के अन्तर्गत केवल शपथ--पत्रों पर दी गई है ।

शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है, कि स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त ऐसे शपथ–पत्रों, जो कि नोटरी द्वारा अनुप्रमाणित किए जाते हैं, पर नोटरी संबंधी कार्य के स्टाम्प नहीं लगाए जा रहे हैं, जिससे शासन के राजस्व की महती हानि हो रही है ।

इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नोटरी कार्य के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की सारणी 1--क अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत 10 /-- रुपये का स्टाम्प

शुल्क पृथक से प्रभार्य है । अनुच्छेद 40 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क से कोई छूट शासन द्वारा प्रदान नहीं की गई है । अतः स्टाम्प शुल्क से छूट प्राप्त सभी शपथ–पत्रों पर 10/– रूपये के नोटरीयल कार्य संबंधी स्टाम्प लगवाया जाना सुनिश्चित करें । तत्संबंधी जानकारी अपने जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों/न्यायालयों को भी तत्काल प्रदान करें ।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.

पृ.क./ 484 /तकनीकी/2010 भोपाल, दिनांक 25 2 2011
प्रतिलिपिः–

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वाणिज्यिक कर विभाग की ओर सूचनार्थ ।

sd/–
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.